रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003--23 REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—23

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-16122023-250695
CG-DL-W-16122023-250695

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 16—दिसम्बर 22, 2023 (अग्रहायण 25, 1945)
No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 16—DECEMBER 22, 2023 (AGRAHAYANA 25, 1945)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.	673
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	1139
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	11
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	2291
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	2597
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.	183
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.	4521
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	673
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1139
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	11
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	2291
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	2597
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	183
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	4521
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 दिसंबर 2023

सं. 3-19/2022-SU—जबकि भारत सरकार, देश में दायित्वपूर्ण काष्ठ उत्पादन और उपभोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संधारणीय वन प्रबंधन और कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए एक स्वैच्छिक, बाजार-आधारित, तृतीय-पक्षकार द्वारा प्रमाणन पहल के रूप में भारतीय वन और काष्ठ प्रमाणन स्कीम संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं;

और भारत सरकार ने राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता, 2023 जारी की है, जिसमें देश भर के सभी वन प्रभागों में कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में संधारणीय वन प्रबंधन के सिद्धांतों का पालन किया जाता है;

और राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता, 2023 में भारतीय वन प्रबंधन मानक को निगरानी के लिए आधार के रूप में शामिल किया गया है तथा पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को समाविष्ट करते हुए वनों के बहु-आयामी लक्ष्यों को पहचानते हुए मानदंडों, संकेतकों और सत्यापनकर्ताओं के समग्र कार्यढांचे के संदर्भ में संधारणीय वन प्रबंधन संबंधी दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं। संधारणीय वन प्रबंधन संबंधी यह मानक, भारत में वैज्ञानिक वन प्रबंधन में दीर्घकालिक और व्यापक अनुभव पर आधारित है तथा मानदंडों और संकेतकों की विकसित हो रही अंतरराष्ट्रीय प्रणालियों के अनुरूप है;

और भारतीय वन और काष्ठ प्रमाणन स्कीम में वन प्रबंधन प्रमाणन, वन के बाहर वृक्ष प्रमाणन और अभिरक्षा श्रृंखला प्रमाणन नामक घटक शामिल होंगे;

इसलिए, केंद्रीय सरकार एतदद्वारा भारतीय वन और काष्ठ प्रमाणन स्कीम के कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शन और निगरानी करने के लिए भारतीय वन और काष्ठ प्रमाणन परिषद की स्थापना करती है :—

1. भारतीय वन और काष्ठ प्रमाणन परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

i.	अपर वन महानिदेशक, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	अध्यक्ष
ii.	महानिदेशक, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद या प्रतिनिधि, देहरादून	सदस्य
iii.	महानिदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून	सदस्य
iv.	वन महानिरीक्षक (सर्वेक्षण और उपयोगिता), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य
v.	वन महानिरीक्षक (राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य
vi.	वन महानिरीक्षक (वन नीति), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य
vii.	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य
viii.	वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य
ix.	तीन राज्य वन विभागों के प्रतिनिधि	सदस्य
x.	तीन वन विकास निगमों के प्रतिनिधि	सदस्य
xi.	भारतीय गुणवत्ता परिषद के प्रतिनिधि	सदस्य

xii.	काष्ठ-आधारित उद्योगों/संघों के दो प्रतिनिधि	सदस्य
xiii.	निदेशक, भारतीय वन प्रबंध संस्थान, भोपाल	सदस्य सचिव
	परिषद संगत क्षेत्र के विशेषज्ञों या व्यक्तियों का भी सह-योजन कर सकती है।	

2. भारतीय वन और काष्ठ प्रमाणन परिषद निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी होगी :

क. एक उपयुक्त संगठनात्मक संरचना और शासन कार्यतंत्र के माध्यम से भारतीय वन और काष्ठ प्रमाणन स्कीम के संचालन और प्रशासन का समग्र उत्तरदायित्व।

ख. मानक अंगीकरण समिति, जो एक बहु-हितधारक परामर्शी प्रक्रिया का पालन करेगी, की संस्तुति पर वन प्रबंधन प्रमाणन, वन के बाहर वृक्ष प्रमाणन और अभिरक्षा श्रृंखला प्रमाणन से युक्त प्रमाणन संबंधी मानकों का अनुमोदन।

ग. प्रमाणन मानकों, प्रमाणन प्रक्रियाओं आदि के संबंध में सलाह देने और संस्तुति करने के लिए तकनीकी समितियों का गठन।

घ. वन प्रबंधन प्रमाणन, वन के बाहर वृक्ष प्रमाणन और अभिरक्षा श्रृंखला प्रमाणन के लिए प्रमाणन प्रक्रिया का अनुमोदन।

ङ. संधारणीय वन प्रबंधन, वन के बाहर वृक्ष संबंधी प्रबंधन और अभिरक्षा श्रृंखला में संगत विशेषज्ञता रखने वाली प्रमाणन निकायों के प्रत्यायन का अनुमोदन तथा प्रमाणन निकायों और लेखा परीक्षकों के लिए अपेक्षाएं और मानक निर्धारित करना।

च. स्कीम के तहत प्रमाणपत्र धारकों को प्रमाणन, नवीकरण, ट्रेडमार्क उपयोग एवं लाइसेंस जारी करने का प्रबंधन और निगरानी।

छ. भारतीय वन और काष्ठ प्रमाणन स्कीम के अनुसार प्रमाणन निकायों के अनुपालन की समीक्षा करना और अनुपालन न करने पर प्रत्यायन के निलंबन या रद्द करने सहित समुचित कार्रवाई करना।

3. इस स्कीम को निर्दिष्ट स्कीम प्रचालन अभिकरण के रूप में भारतीय वन प्रबंध संस्थान, भोपाल द्वारा संचालित किया जाएगा।

आर. रघु प्रसाद
वन महानिरीक्षक

शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 दिसंबर 2023

सं. 10/6/2019-यू3(ए)— जबकि, जैन (सम विश्वविद्यालय), बेंगलुरु, कर्नाटक ने शैक्षणिक वर्ष 2019-20 से कोच्चि में अपना ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने के लिए 20 अगस्त, 2019 को एक आवेदन प्रस्तुत किया था।

2. और जबकि, जैन सम विश्वविद्यालय के आवेदन की यूजीसी द्वारा अपनी विशेषज्ञ समितियों के माध्यम से यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019 के अनुसार जांच की गई थी। इसके अतिरिक्त, समिति ने 29.05.2020 को आयोजित अपनी 547वीं बैठक में यूजीसी विशेषज्ञ दौरा समिति और यूजीसी अनुपालन सत्यापन समिति की रिपोर्टों पर विचार किया और यह संकल्प लिया कि "आयोग ने यूजीसी विशेषज्ञ दौरा समिति की रिपोर्ट पर विचार किया है और इस शर्त के अध्यधीन जैन (सम विश्वविद्यालय), बेंगलुरु द्वारा कोच्चि में ऑफ-कैंपस केंद्र के लिए एमएचआरडी के समक्ष अनुशंसा करने का निर्णय लिया कि सम विश्वविद्यालय कोच्चि में ऑफ-कैंपस के संबंध में यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019 में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करेगा।"

3. और जबकि, यूजीसी की सिफारिश की जांच यूजीसी विनियम, 2019 के अनुसार मंत्रालय में की गई थी और कोच्चि में एक ऑफ-कैंपस शुरू करने के लिए जैन (सम विश्वविद्यालय), कर्नाटक के प्रस्ताव को इस मंत्रालय के दिनांक 21.09.2022 के आदेश संख्या 10/ 6/2019-यू3(ए) के तहत इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि यूजीसी की दिनांक 29.05.2020 की सिफारिश में उसके अपने नियमों की कानूनी सत्यता का अभाव है।

4. और इसके अतिरिक्त जबकि, इस मंत्रालय के दिनांक 21.09.2022 के अस्वीकृति आदेश को सम विश्वविद्यालय द्वारा 2022 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 31538 द्वारा माननीय केरल उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 13.10.2022 के अपने आदेश के माध्यम से उपर्युक्त डब्ल्यूपी को अनुमत किया और इस मंत्रालय के दिनांक 21.09.2022 के आदेश को अलग रखते हुए, भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी को पारिणामिक निर्देश दिया कि, याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर देते हुए और उनके अनुरोध पर पुनर्विचार करके, इस निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर उचित आदेश पारित करे।

5. और जबकि, माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए, जैन सम विश्वविद्यालय, बेंगलुरु द्वारा अधिकृत संयुक्त रजिस्ट्रार ने अपने दिनांक 31.03.2023 के लिखित अभ्यावेदन के माध्यम से सचिव (एचई) के समक्ष निवेदन किया।

6. और जबकि, जब तक यह मामला मंत्रालय में विचाराधीन था, यूजीसी ने पूर्ववर्ती यूजीसी विनियम, 2019 के अधिक्रमण में नए यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 अधिसूचित किए। इसके अलावा, यूजीसी विनियम, 2023 के खंड 30.0 के अनुसार, सम विश्वविद्यालय ने एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया कि उसके आवेदन पर यूजीसी विनियम, 2023 के अनुसार पुनर्विचार किया जा सकता है। तदनुसार, यूजीसी से अनुरोध किया गया था कि वह यूजीसी विनियम, 2023 के अनुसार मामले की जांच करे और इस मंत्रालय को अपनी सलाह प्रस्तुत करे।

7. और आगे जबकि, यूजीसी ने अपने पत्र संख्या 26-4/2019 (सीपीपी-आई/डीयू) दिनांक 15.11.2023 के माध्यम से सूचित किया कि विशेषज्ञ समिति द्वारा आवेदन की जांच की गई है। समिति द्वारा कुछेक कमियों की ओर इशारा करते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की गई कि यूजीसी शिक्षा मंत्रालय को सलाह दे सकती है कि "कोच्चि में जैन (समविश्वविद्यालय) के ऑफ-कैंपस की कार्योत्तर मंजूरी और 2019-20 बैच में प्रवेशित छात्रों को प्रदान की जाने वाली डिग्रियों की मान्यता पर केवल तभी विचार किया जा सकता है यदि संस्थान उपर्युक्त कमियों को दूर करता है"। आयोग ने यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और दिनांक 03.11.2023 को आयोजित अपनी 574वीं बैठक (मद संख्या 2.15) में सिफारिशों को मंजूरी दी।

8. और जबकि, जैन समविश्वविद्यालय ने पत्र संख्या जेयू/जेआर/एसओ-1/कोच्चि-कैंपस/2023/268 दिनांक 23.11.2023 के माध्यम से यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा बताई गई कमियों को सुधारते हुए इस मंत्रालय को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की।

9. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, यूजीसी की सलाह पर एतदद्वारा जैन समविश्वविद्यालय, बैंगलोर, कर्नाटक को शैक्षणिक वर्ष 2019-20 बैच में कोच्चि परिसर में प्रवेशित छात्रों की डिग्री को विधिवत मान्यता प्रदान करते हुए कोच्चि, केरल में ऑफ-कैंपस सेंटर शुरू करने के लिए कार्योत्तर मंजूरी प्रदान करती है। यह अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा:

i. समविश्वविद्यालय समय-समय पर यूजीसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप अपने पाठ्यक्रम और क्रेडिट संरचना का निर्माण करेगा, ताकि भविष्य में शिक्षा और प्रदान की जाने वाली डिग्री के मानक को बनाए रखा जा सके।

ii. समविश्वविद्यालय यूजीसी द्वारा अनुमोदित परिभाषा के अनुसार 'क्रेडिट' शब्द परिभाषित करेगा।

iii. समविश्वविद्यालय यूजीसी के मानदंडों और मानकों के अनुसार कोच्चि परिसर में खेल का मैदान, कैंटीन, स्वास्थ्य केंद्र इत्यादि जैसी कतिपय सुविधाओं में वृद्धि करेगा।

iv. समविश्वविद्यालय को उक्त पैराग्राफ 8 में संदर्भित अपनी अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 23 नवंबर 2023 यूजीसी द्वारा समयबद्ध तरीके से सत्यापित करानी होगी।

10. इस मंत्रालय की पिछली अधिसूचना (ओं) के साथ-साथ समय-समय पर जारी यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों के नियमों/विनियमों में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों का 'जैन', बैंगलोर, कर्नाटक द्वारा लगातार पालन किया जाता रहेगा।

पूर्णेन्दु किशोर बनर्जी
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

New Delhi, the 12th December 2023

No. 3-19/2022-SU—WHEREAS the Government of India has released the guidelines for the Indian Forest and Wood Certification Scheme as a voluntary, market-based, third-party certification initiative to promote sustainable forest management and agroforestry, aiming to incentivize responsible wood production and consumption in the country;

AND WHEREAS the Government of India has released the National Working Plan Code 2023, which follows the principles of Sustainable Forest Management as a guiding document for the preparation of working plans in all forest divisions across the country;

AND WHEREAS the National Working Plan Code, 2023 incorporates the Indian Forest Management Standard as a basis for monitoring and provides guidelines for sustainable forest management, in terms of comprehensive framework of criteria, indicators, and verifiers, recognizing the multi-dimensional goals of forests, encompassing environmental, economic and social objectives. The standard for sustainable forest management is based on long term and extensive experience in scientific forest management in India and aligns with evolving international systems of criteria and indicators;

AND WHEREAS the Indian Forest and Wood Certification Scheme shall include components namely Forest Management Certification, Trees outside Forest Certification and Chain of Custody Certification;

NOW THEREFORE, the Central Government hereby establishes the Indian Forest and Wood Certification Council for guiding and monitoring the implementation of the Indian Forest and Wood Certification Scheme: -

1. Indian Forest and Wood Certification Council shall comprise of the following members:

i.	Additional Director General of Forests, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC)	Chairman
ii.	Director General, Indian Council of Forestry Research and Education or representative, Dehradun	Member
iii.	Director General, Forest Survey of India, Dehradun	Member
iv.	Inspector General of Forests (Survey and Utilization), MoEFCC	Member
v.	Inspector General of Forests (National Afforestation and Eco Development Board), MoEFCC	Member
vi.	Inspector General of Forests (Forest Policy), MoEFCC	Member
vii.	Representative of the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare	Member
viii.	Representative of Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry	Member
ix.	Representatives from three State Forest Departments	Members
x.	Representatives from three Forest Development Corporations	Members
xi.	Representative of Quality Council of India	Member
xii.	Two representatives from wood-based industries/associations	Members
xiii.	Director, Indian Institute of Forest Management, Bhopal	Member Secretary
The Council may also co-opt experts or individuals in the relevant field.		

2. Indian Forest and Wood Certification Council shall be responsible for the following functions

   a. Overall responsibility of governance and administration of the Indian Forest and Wood Certification Scheme through an appropriate organizational structure and governance mechanism.

   b. Approval of Certification Standards comprising Forest Management Certification, Trees Outside Forests Certification, and Chain of Custody Certification on the recommendation of standard adoption committee, which will follow a multi-stakeholder consultative process.

   c. Constitution of technical committees for advising and recommending certification standards, certification processes etc.

d. Approval of certification process for Forest Management Certification, Trees Outside Forests Certification, and Chain of Custody Certification.

e. Approval of accreditation of Certification Bodies having relevant expertise in Sustainable Forest Management, Trees Outside Forests management and Chain of Custody and setting requirements and standards for certification bodies and auditors.

f. Managing and monitoring the issuance of certification, renewals, trademarks usage, licenses to certificate holders under the scheme.

g. Review the compliance of the Certification Bodies as per the Indian Forest and Wood Certification Scheme and take appropriate action including suspension or cancellation of accreditation, for non-compliance.

3. The Scheme shall be operated by the Indian Institute of Forest Management, Bhopal as the designated Scheme Operating Agency.

R. RAGHU PRASAD
Inspector General of Forests

MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 7th December 2023

No. 10/6/2019-U3(A)—Whereas, Jain (Deemed to be University), Bengaluru, Karnataka had submitted an application on 20th August, 2019 for starting its Off-Campus Centre at Kochi from the academic year 2019-20.

2. And whereas, the application of Jain Deemed to be University was examined by UGC through its Expert Committees in accordance with UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019. Further, the Commission considered the reports of UGC Expert Visiting Committee and UGC Compliance Verification Committee in its 547th meeting held on 29.05.2020 and resolved that "the Commission considered the report of the UGC Expert Visiting Committee and decide to recommend to MHRD for off-campus centre at Kochi by Jain (Deemed to be University), Bengaluru, subject to the condition that Deemed to be University shall fulfil all the conditions stipulated in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019 with regard to off-campus at Kochi."

3. And whereas, the recommendation of UGC was examined in the Ministry in accordance with the UGC Regulations, 2019 and proposal of Jain (Deemed to be University), Karnataka to start an Off-Campus at Kochi was rejected vide this Ministry's Order No.10/6/2019-U3(A) dated 21.09.2022 on the ground that the recommendation of UGC dated 29.05.2020 lacks legal sanctity of its own regulations.

4. And further whereas, the rejection Order dated 21.09.2022 of this Ministry was challenged by the Deemed to be University in the Hon'ble High Court of Kerala by Writ Petition (Civil) No.31538 of 2022. The Hon'ble Court, vide Order dated 13.10.2022, allowed the above WP and set aside this Ministry's order dated 21.09.2022 with a consequential direction to the competent authority of the Government of India to reconsider the petitioner's request, after affording them an opportunity of being heard and pass an appropriate order within a period of four months from the date of receipt of a copy of judgment.

5. And whereas, following to the Orders of Hon'ble Court, Joint Registrar authorized by Jain Deemed to be University, Bangalore made submissions before the Secretary (HE) through his written representation dated 31.03.2023.

6. And whereas, while the matter was under consideration in the Ministry, UGC notified the new UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023 in supersession of earlier UGC Regulations, 2019. Further, as per Clause 30.0 of the UGC Regulations, 2023, the Deemed to be University submitted an undertaking stating that its application may be reconsidered as per the UGC Regulations, 2023. Accordingly, UGC was requested to examine the matter as per the UGC Regulations, 2023 and submit its advice to this Ministry.

7. And further whereas, UGC, vide its letter No.26-4/2019 (CPP-I/DU) dated 15.11.2023, informed that the application has been examined through an Expert Committee. The Committee, while pointing out certain shortcomings, inter-alia recommended that the UGC may advise the Ministry of Education that "the ex-post facto approval of the off-campus of the Jain (Deemed to be University) at Kochi and validation of the degrees awarded to the students admitted in 2019-20 batch only may be considered if it rectifies the above-mentioned deficiencies". The Commission considered the report of the UGC Expert Committee and approved the recommendations in its 574th meeting (Item No.2.15) held on 03.11.2023.

8. And whereas, the Jain Deemed to be University, vide letter No. JU/JR/SO-1/Kochi-Campus/2023/268 dated 23.11.2023, submitted compliance report to this Ministry rectifying the deficiencies pointed out by the UGC Expert Committee.

9. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of UGC, hereby accords ex-post facto approval to Jain Deemed to be University, Bangalore, Karnataka for

starting Off-Campus Centre at Kochi, Kerala duly validating the degrees of the students admitted in Kochi Campus in Academic Year 2019-20 batch. This approval shall be subject to the following conditions:

i. The Deemed to be University shall align its course curriculum and credit structure in consonance with the Guidelines issued by the UGC, from time to time, so as to maintain the standard of education and degree to be awarded in the future.

ii. The Deemed to be University shall align the term 'credit' in accordance with the definition approved by the UGC.

iii. The Deemed to be University shall augment certain facilities such as playground, canteen, health centre, etc. at Kochi Campus as per the norms and standards of UGC.

iv. The Deemed to be University shall get their compliance report dated 23rd November 2023, referred at paragraph 8 above, verified by the UGC in a time bound manner.

10. All other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by 'Jain', Bangalore, Karnataka.

PURNENDU KISHORE BANERJEE
Joint Secretary

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली–110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली–110054 द्वारा ई–प्रकाशित
UPLOADED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054

Kshitiz Mohan